उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-13/2015/1744/92-2-15-43आरई/2009

लखनऊ:: दिनांक:: 30 नवम्बर,2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत डॉ0 अम्बेडकर ग्रामसभा धुंधापुरवा सम्पर्क मार्ग में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण कार्यो में मानक के अनुरूप कार्य न कराये जाने की अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-784/62-3-2009-43आरई/2009, दिनांक 01-04-2009 द्वारा श्री बी0एल0 रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 07-12-2009 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र दिनांक 07-12-2009 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री बी0एल0 रावत, के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 20-07-2012 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 21-09-12 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि निर्माण कार्य मानक विशिष्टियों के अनुरूप न कराने एवं अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण के लिये अपचारी अधिकारी, श्री रावत उत्तरदायी है। अत: शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-04-2009 द्वारा श्री बी0एल0 रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री रावत को वर्ष 2015-16 के लिये निम्नवत **"परिनिन्दित"** करते हुये

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उनके विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

" जनपद गोण्डा में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा धुंधापुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण मानक विशिष्टियों के अनुरूप न कराने एवं अधीनस्थों पर शिथिल नियंत्रण के लिये अपचारी अधिकारी श्री बी0एल0 रावत, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोण्डा को परिनिन्दित किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

**संख्या-13/2015/1744(1)/92-2-2015 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री बी0एल0 रावत, तत्कलीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड- गोण्डा ,द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।